बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

सं0–15/आरोप (भोजपुर) 02–75/2025–.......................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........................

विभागीय पत्रांक–663 (03) दिनांक–07.12.2023 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों के द्वारा बिहार राजस्व सेवा सवर्ग के अधिकारियों की सेवापुस्त में सभी आवश्यक प्रविष्टियां अद्यतन करते हुए दिनांक–15.12. 2023 तक विभाग में जमा करने हेतु निदेशित किए जाने एवं इस संबंध में राजस्व सेवा के अधिकारियों की मूल सेवापुस्त विभाग में जमा करने हेतु सभी अपर समाहर्ताओं के साथ दिनांक– 20.12.2023 को VC के माध्यम से आयोजित बैठक में माह दिसम्बर 2023 से सेवापुस्त जमा हाने तक वेतनादि की निकासी पर रोक लगाने का निदेश दिया गया था। **श्री सत्येन्द्र कुमार दिवाकर, राजस्व अधिकारी, बड़हरा, भोजपुर** द्वारा ससमय सेवापुस्त विभाग को उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं उक्त निदेशों के आलोक में मूल सेवापुस्त विभाग में नहीं जमा करने वाले पदाधिकारियों को विभागीय आदेश सं०–323(03) दिनांक–13.05.2025 द्वारा सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिये जाने के बावजूद भी श्री दिवाकर द्वारा उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारियों के आदेश का घोर उल्लंघन करने, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती जाने एवं काफी विलंब से दिनांक 17.05.2025 को सेवापुस्त उपलब्ध कराये जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

2. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1657(15), दिनांक–08.09.2025 द्वारा श्री दिवाकर से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री दिवाकर द्वारा दिनांक–07.10.2025 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा काफी विलंब से विभागीय पत्रांक–323(3), दिनांक–13.05.2025 के आलोक में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष दिनांक–15.05.2025 को स्वंय उपस्थित नहीं होकर विभाग में दिनांक–17.05.2025 को मूल सेवापुस्त जमा किया गया है और काफी विलंब से सेवापुस्त जमा करने के संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण में विभागीय पत्र सं0–695, दिनांक–27.12.2023 एवं पत्र सं0–307, दिनांक–31. 05.2024 द्वारा मूल सेवापुस्त विभाग में जमा करने से संबंधित सूचना उन्हें प्राप्त नहीं होने एवं अस्वस्थ होने को जबावदेह कारण के रूप में अंकित किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त पत्रों द्वारा बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवापुस्त मुख्यालय में जमा करने हेतु सभी समाहर्त्ता को निदेशित किया गया था जिसकी प्रति राजस्व सेवा के सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की गई थी। इससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभागीय निदेश के बावजूद गलत तथ्यों का हवाला देते हुए काफी विलंब से मूल सेवापुस्त विभाग में जमा किया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश के उल्लंघन एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है तथा स्पष्टीकरण में विलंब से सेवापुस्त जमा करने के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। अतः आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी श्री दिवाकर को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "निन्दन" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार दिवाकर, राजस्व अधिकारी, बड़हरा, भोजपुर सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन निदेशालय, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(i) के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2025–26)** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भोजपुर) 02–75/2025–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–............................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, भोजपुर एवं पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/ श्री सत्येन्द्र कुमार दिवाकर, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भोजपुर) 02–75/2025–414(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–23/03/2026

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल में**)/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री सत्येन्द्र कुमार दिवाकर** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

23/3/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Satyendra kr diwakar (RO_Barhada_Bhoj)_Nindan.doc